

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फैक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भव  
इन्दौर - 452 001  
दिनांक 5 MAY 2018

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/18/891

प्रति,

डायरेक्टर/संचालक,  
एक्रोपोलिस टेक्नीकल कम्पस,  
तिल्लोर खुर्द, रालामण्डल के पास,  
इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता सत्र 2017-18 के लिये प्रदान करने  
विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक 06/04/2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा एम.बी.ए. (फुलटाईम) पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2017-18 का अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क रुपये राशि 1,35,000/- एम.पी.आनलाइन आई.डी.नं. 17040347653113274926 दि. 03.04.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये है।

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट सख्या
1	एम.बी.ए. (फुलटाईम)	188

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है।

शर्त:-

1. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज कोड 28 में नियुक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों के विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित सूची, विश्वविद्यालय में एक माह में जमा करें।
2. महाविद्यालय द्वारा ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aish.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
5. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/-प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,  
कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/18/891

प्रतिलिपि:-

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 5 MAY 2018

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)